

फर्द अहकाम

( नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

क्रिश्न बनाम गेगाराप्र (वैर)

किरम मुकदमा ..... प्री.पत्रा 111-128 ..... नं० 143 ..... सन् 2021

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तानील मे जारी हुए
27/10/21	<p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 24.11.21 को पेश हो ।</p>	
	<p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर माण्डल</p>	
	<p>श्री पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अत्रियान 2021 कैम्प गुप्त पचायत नीम का खेडा मे पेश हुई शपथीगण के सम्मन बाद तमिल होकर प्राप्त हुए एवं तहसील प्रद मोडल एवं मांस रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा.पत्र किया गया। शपथीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पत्र से लिखा जाकर शा.पत्र किया गया। पत्रावली फाइल नुमांदा होकर नम्बर से कम हो</p>	
	<p>डॉ. पूजा सक्सेना उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021</p>	



# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल ( भीलवाड़ा )

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

मुकदमा संख्या :- 143/21 प्रा.पत्र

1- श्री किशन ड। रमेश स्वरीक निवासी - बलाई खेड़ा तहसील - मांडल (भीलवाड़ा) -- प्रार्थी

1- श्री गंगाराम ड। गोदु बलाई निवासी - बलाई खेड़ा तहसील - मांडल (भीलवाड़ा) -- विपक्षीय पक्ष (पृष्ठोक्ति प्रा.पत्र संलग्न)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 24.11.21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर दिया गया कि ग्राम..... बलाई खेड़ा..... पटवार हल्का..... मांडल..... तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं..... 173/1..... कुल किता ..... 01..... रकबा..... 0.1770..... हेक्टेयर..... स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय पक्ष के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक..... 27.10.21..... को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम..... बलाई खेड़ा..... पटवार हल्का..... मांडल..... तहसील मांडल में स्थित आराजी नं..... 173/1..... कुल किता ..... 01..... रकबा 0.1770..... हेक्टेयर..... भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक..... मांडल..... को ..... 500/-..... रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

डॉ. पूजा सक्सेना  
उपखण्ड अधिकारी

मांडल, भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

डॉ. पूजा सक्सेना  
उपखण्ड अधिकारी  
मांडल, भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021